नौवहन समवाय

2201. **श्री क० मि० मधुकर :** क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) भारत में नौवहन समवायों में सरकारी तथा गैर-सरकारी पूंजी कितने कितने प्रतिशत लगी हुई है ;

(ख) क्या यह सच है कि भारत में नौवहन कारोबार अब भी विदेशी समवायों तथा भारतीय गैर-सरकारी समवायों द्वारा किया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या नौवहन कारोबार को अपने हाथ में लेने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) भारत में समस्त शिपिंग कम्पनियों के बारे में पूछी गई सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है। सूचना सकलित की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायगी।

(ख) सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों में भारतीय तट के किनारे सूखे माल का ले जाया जाना केवल भारतीय शिपिंग कम्पनियों के लिये सुरक्षित है। तट के किनारे ले जाये जाने वाले तेल के बारे में भारतीय तेल वाहियों के अलावा भाटक पर कुछ विदेशी तेलवाही भी नियुक्त किये जाते हैं।

विदेश पार व्यापार के संबंध में, विदेशी कम्पनियों और भारतीय गैर-सरकारी कम्पनियों के अलावा सरकारी क्षेत्र की भारतीय कम्पनियां भी काम कर रही हैं।

(ग) जी नहीं।

Delhi requirements of Rice and Wheat

2202. Shri Nanja Gowder: Will the **Minister of Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) the total requirements of rice and wheat for Delhi per week; and

(b) the savings made by restricting the hotels to serve rice and wheat almost during three days in a week?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) Including the non-rationed areas, Delhi requires in a week about 700 tonnes of rice and 6,975 tonnes of wheat

(b) The catering establishments in Delhi are required to observe two riceless days and one cereal-less evening in a week. The rice quota of these establishments could, on this account, be cut by about 106 tonnes per month. No cut has been imposed in their quota of wheat/atta

दहेज निवारण विधि

2203. **श्री रामसेवक यादव :**
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री मोलहू प्रसाद :
श्री महाराज सिंह भारती :
श्री रबी राय :
श्री ब लमीकी चौधरी :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) दहेज निवारण विधि के अन्तर्गत देश भर में न्यायालयों में कितने मुकदमों की सुनवाई हुई

(ख) कितने मुकदमों में दण्ड दिया गया ; और

(ग) कितने मुकदमों का फैसला अभी नहीं हुआ ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बा० रा० भगत) : (क) से (ग) दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 का प्रशासन राज्य

सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के पास है तथा वे अभियोजनों आदि के संबंध में कोई आंकड़े केन्द्रीय सरकार को प्रदाय करने के लिए अपेक्षाधीन नहीं है। अतः अपेक्षित जानकारी केन्द्रीय सरकार के पास तुरन्त उपलब्ध नहीं है। इसे राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों से संग्रहीत किया जा रहा है और सम्यक अनुक्रम में सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सहकारी समितियां

2204. श्री रामचन्द्र वीरप्पा: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिसम्बर, 1966 की समाप्ति पर अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में कितनी सहकारी समितियां चल रही थी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी): जून, 1966 (अंतिम अवधि जिसके बारे में जानकारी उपलब्ध है) के अंत में द्वीपसमूह में 164 सहकारी समितियां थी।

अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूहों में पशु-चिकित्सा अस्पताल

2205. श्री रामचन्द्र वीरप्पा: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1966 तक अन्दमान द्वीप समूह में कितने पशु-चिकित्सा अस्पताल थे;

(ख) उन पर प्रति वर्ष कितना धन खर्च किया जाता है; और

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में पशु-चिकित्सा अस्पतालों के लिए कितनी राशि नियत की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे): (क) और (ख) संघ क्षेत्र से जानकारी मांगी जा रही है और मिलते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) चौथी योजना की अवधि में 6 पशु-चिकित्सा अस्पताल तथा 6 पशु-चिकित्सा आऊट पोस्टों की स्थापना की जायेगी। चौथी योजना में 3,51,500 रुपए का नियतन किया गया है।

Places of Tourist Interest in Goa, Daman and Diu

2206. Shri Shinkre: Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) the total amount spent on promoting tourist traffic to the places of tourist interest in the Union Territory of Goa, Daman, and Diu during the last five years; and

(b) the steps taken or proposed to be taken to attract more tourists to places of tourist interest in Goa during the next two years?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh): (a) During the Third Plan period the expenditure incurred on tourist schemes in the Union Territory of Goa, Daman and Diu was Rs. 27 lakhs.

(b) It is proposed to spend Rs. 80 lakhs on tourist development schemes in the Central sector and Rs. 18 lakhs in the State sector in the Fourth Plan. The details are being worked out.

Enquiry into the escape of Dr. Dharma Teja

2207. Shri Madhu Limaye:
Shri S. M. Banerjee:
Dr. Ram Manohar Lohia:
Shri George Fernandes:

Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state:

(a) whether an investigation has been carried out into the question of